आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
25/11/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 83/11** **मैनेजर राय बनाम बिहार सरकार एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के आदेश ज्ञापांक 823/आपूर्ति दिनांक 17.10.11 के विरूद्ध दायर किया गया है। यह माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल वाद सं0 4196/2014 में पारित आदेश दिनांक 11.3.14 से संबंधित दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 8.9.11 को प्रखंड विकास पदाधिकारी, दरियापुर के द्वारा मैनेजर राय पंचायत–सूतिहार की दुकान की जॉच की गयी। विक्रेता के विरूद्व मुख्यमंत्री चावल उत्सव योजना का चावल वितरण में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई थी। जॉच की तिथि को विक्रेता दुकान पर उपस्थित नहीं पाए गए। पूछने पर पता चला कि किसी कार्य की वजह से वह अन्यत्र गए हुए हैं। इनकी दुकान के लाभुकों लाल बाबू पटवा, मनोज कुमार साह, संजय कुमार सिंह, परम सिंह, लखन साह, अनिल साह, शिवनाथ सिंह, नन्दन ठाकुर, विमल साह, जय प्रकाश ठाकुर, योगेन्द्र ठाकुर, लाल बाबू साह एवं भगवान साह, ग्राम– सूतिहार के द्वारा बताया गया कि 20 किलो चावल लेने जब विक्रेता के पास पहुॅचे तो, विक्रेता के द्वारा उन्हें अनाज नहीं दिया गया एवं कूपन की मॉग की गयी। शंकर ठाकुर के द्वारा बताया गया कि उन्हें 20 किलो चावल अवश्य मिला, लेकिन उनका अगस्त महीने का कूपन फाड़ कर रख लिया गया, जो गलत है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, दरियापुर के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 738 दिनांक 15.9.11 के द्वारा स्पष्टीकरण की मॉग की गयी, जिसके आलोक में विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। विक्रेता के जवाब को असंतोषजनक पाते हुए अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव	

से रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि जॉच की तिथि को 2.00 बजे अपराह्न तक विक्रेता के द्वारा दुकान खोलकर रखा गया। उस समय तक जॉच पदाधिकारी जॉच हेतु नहीं आए थे। अपराह्न 2.00 बजे के बाद वे जॉच हेतु आए। विक्रेता के विरूद्व लगाए गए आरोपों के संबंध में कहना है कि शंकर ठाकुर के द्वारा माह अगस्त का सामान अपने कूपन के विरूद्व प्राप्त किया गया है। साथ ही शपथ पत्र दाखिल करके कहा गया है कि उन्हें विक्रेता से कोई शिकायत नहीं है। लाल बाबू, मनोज कुमार साह, संजय कुमार सिंह एवं अन्य उपभोक्ताओं के द्वारा शपथ पत्र देकर बताया गया है कि विक्रेता के द्वारा 20 किलो अतिरिक्त चावल बिना कूपन के वितरित किया गया है एवं उन्हें विक्रेता से कोई शिकायत नहीं है। विक्रेता के द्वारा वितरण कार्य निगरानी समिति के सदस्यों के देख–रेख में किया गया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा विक्रेता की रद्द अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि शिकायत करने वाले अधिकांश व्यक्तियों के द्वारा विक्रेता के पक्ष में शपथ पत्र दिया गया है। दिनांक 10.7.14 को सुनवाई के कम में उपभोक्ताओं के द्वारा दिए गए शपथ पत्र का सत्यापन कराने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर को आदेशित किया गया था। अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के पत्रांक 506 दिनांक 10.11.14 के द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन प्रेषित करते हुए अंकित किया गया है कि परिवादी के द्वारा दाखिल शपथ पत्र सही है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अन्य वजह से ग्रामीणों के द्वारा विक्रेता के विरूद्व शिकायत की गयी है। विक्रेता के जवाब के साथ संलग्न कागजातों के परिसीलन से स्पष्ट है कि विक्रेता के विरूद्व लगाए गए आरोप सही सिद्व नहीं होते हैं। अतः अपीलकर्त्ता के द्वारा दाखिल अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त किया जाता है।
वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 1037 दिनांक 17/12/14
प्रतिलिपि– अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर को LCR मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। / ⇒ जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, NIC, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा, सारण